

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(101)/ग्रावि/ग्रुप-5/PMAY-G/S-N/विविध/17-18

जयपुर, दिनांक 19 सितम्बर, 2019

जिला कलक्टर,


झालावाड, बीकानेर, धौलपुर एवं जैसलमेर।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत जिला परिषद मुख्यालय पर प्राटोटाइप आवास निर्माण करने के क्रम में।

प्रसंग :- विभागीय पत्र दि. 27.08.18, 27.06.19, 20.08.19 एवं 12.09.19।


ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आईआईटी नई दिल्ली के सहयोग से राज्य को 4 Zone में विभक्त कर 7 प्रोटोटाइप मॉडल नक्शों विकसित कराये गये हैं। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आईआईटी, नई दिल्ली के सहयोग से राज्य के लिए विकसित प्रोटोटाइप मॉडल नक्शों जो कि लाभार्थियों हेतु जारी मार्गदर्शिका में उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त संबंध में योजनान्तर्गत क्रियान्वयन फेमवर्क के बिन्दू संख्या 6.2.2 की पालना में उक्तानुसार विकसित नक्शों के साथ-साथ आवास निर्माण में तकनीकी सहयोग हेतु NIRD हैदराबाद में विभागीय अभियंताओं का प्रशिक्षण भी आयोजित करवाया गया। इसी क्रम में वास्तविक आवास को देखकर लाभार्थियों को प्रेरित करने हेतु प्रासांगिक पत्रों द्वारा योजना के प्रशासनिक मद से पंचायत समिति मुख्यालय पर 2-2 प्रोटोटाइप आवासों के निर्माण करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त क्रम में पंचायत समिति स्तर पर निर्मित कराये जा रहें प्रोटोटाइप आवासों के अतिरिक्त जिला परिषद मुख्यालय पर लाभार्थियों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से यदि उपयोगी हो तो, जिला क्रियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट समिति से अनुमोदन कराकर जिला परिषद स्तर पर IIT नई दिल्ली द्वारा विकसित प्रोटोटाइप नक्शों में से मॉडल नक्शों के अनुसार अधिकतम 2 प्रोटोटाइप आवास निर्मित कराये जावें।

  
(राजेश्वर सिंह)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. जिला कलक्टर, जिला समस्त (झालावाड, बीकानेर, धौलपुर एवं जैसलमेर को छोड़कर) को यदि जिला स्तर पर भी प्रोटोटाइप आवास निर्माण की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव विभाग को प्रेषित कराने बाबत।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।

  
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि